अनुदान संख्या 103 – जल संसाधन मंत्रालय
GRANT No. 103–MINISTRY OF WATER RESOURCES

				कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
						(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**					
स्वीकृत-	Voted–					
मूल	Original	925,47,00		925,49,00	730,41,26	–195,07,74
पूरक	Supplementary	2,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					149,74,48
पूंजीगत:	**Capital:**					
प्रभारित-	*Charged–*			*4,00,00*	*3,47,78*	*–52,22*
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*					*शून्य Nil*
स्वीकृत-	Voted–			57,84,00	48,72,47	–9,11,53
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					4,82,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, savings/ excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head					
मुख्य शीर्ष "3451" [illegible]	Major Head "3451" Secretariat - Economic Services					
मू.	O.	2755.00		2236.00	2141.54	–94.46
पु.	R.	–519.00				

शीर्ष	Head			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
						(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2552" उत्तर पूर्वी क्षेत्रा	Major Head "2552" North Eastern Areas					
मू.	O.	6792.00				
पु.	R.	–6792.00		. .	. .	. .
मुख्य शीर्ष "2701" मुख्य तथा मध्यम सिंचाई	Major Head "2701" Major and Medium Irrigation					
मू.	O.	22054.00				
पू.	S.	2.00		18402.52	17030.40	–1372.12
पु.	R.	–3653.48				
मुख्य शीर्ष "2702" लघु सिंचाई	Major Head "2702" Minor Irrigation					
मू.	O.	12974.00				
पु.	R.	–60.13		12913.87	12142.95	–770.92
मुख्य शीर्ष "2705" कमान क्षेत्रा विकास	Major Head "2705" Command Area Development					
मू.	O.	530.00				
पु.	R.	–97.50		432.50	270.60	–161.90
मुख्य शीर्ष "2711" बाढ़ नियंत्राण तथा जल निकासी	Major Head "2711" Flood Control and Drainage					
मू.	O.	10550.00				
पु.	R.	3288.00		13838.00	13235.44	–602.56

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष ''3601'' राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments				
मू.	O.	34517.00	27275.50	25787.80	–1487.70
पु.	R.	–7241.50			

(I) 9293.00 लाख रु. का प्रावधान (दिसंबर, 2006 में एक शीर्ष के अंतर्गत प्राप्त किए गए 1.00 लाख रु. के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) अठारह शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से8933.00 लाख रु. निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(का) मुख्य शीर्ष ''2552'' -

(क) ''बाढ़ नियंत्राण - अन्य व्यय'' -

(i) ''बह्मपुत्रा बोर्ड'' - 2812.00 लाख रु.;

(ii) ''पगलादिया बांध परियोजना'' - 500.00 लाख रु.;

(iii) ''असम में मजूली द्वीप के लिए नई स्कीमें, दिबांग परियोजना आदि'' - 1445.00 लाख रु.;

(iv) ''बह्मपुत्रा और बराक घाटी में बाढ़ पूर्वानुमान एवं जल वैज्ञानिक प्रेक्षण तंत्रा का सुदृढ़ीकरण और आधुनिकीकरण''- 366.00 लाख रु.;

(ख) ''कमान क्षेत्रा विकास - अन्य व्यय - कमान क्षेत्रा विकास''- 650.00 लाख रु.; और

(ग) ''भूजल अन्वेषण - केंद्रीय भू सर्वेक्षण, अनुसंधान और अन्वेषण'' - 660.00 लाख रु.;

(I) Provision of Rs.9293.00 lakhs (including token supplementary grant of Rs.1.00 lakh under one head obtained in December, 2006) remained wholly unutilised under eighteen heads; of these Rs.8933.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(A) Major Head "2552"-

(a) "Flood Control - Other Expenditure" -

(i) "Brahmaputra Board" - Rs.2812.00 lakhs;

(ii) "Pagladia Dam Project" - Rs.500.00 lakhs;

(iii) "New Schemes for Majauli Island in Assam, Dibang Project etc." - Rs.1445.00 lakhs;

(iv) "Strengthening & Modernisation of F.F & Hydrological Observation Network in Brahmaputra & Barak Basin" - Rs.366.00 lakhs;

(b) "Command Area Development - Other Expenditure - Command Area Development" - Rs.650.00 lakhs; and

(c) "Ground Water Investigation - Central Ground Survey, Exploration and Investigation" - Rs.660.00 lakhs.

उपर्युक्त छह शीर्षों के अंतर्गत बचतें पूर्वोत्तर क्षेत्रा और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण हुईं।

Savings under the above six heads were due to re-appropriation of part funds to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(खा) मुख्य शीर्ष "3601" - "मुख्य - सिंचाई (गैर-वाणिज्यिक)- सतलुज यमुना संपर्क नहर परियोजना"- 2500.00 लाख रु. निधियां जारी किए जाने के कारण थे जो पंजाब करार समापन अधिनियम, 2004 पर राष्ट्रपति के संदर्भ के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर आधारित था।

(B) Major Head "3601" - "Major -Irrigation (Non-Commercial) - Satluj Yamuna link Canal project" - Rs.2500.00 lakhs - due to release of funds being subject to the decision of the Hon'ble Supreme Court in the matter of presidential Reference on Punjab termination of Agreements Act, 2004.

(II) मुख्य शीर्ष "3451" - "अन्य व्यय - जल विज्ञान परियोजना" के अतर्गत 964.55 लाख रु. की बचत (1045.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रस्तावों के कम प्राप्त होने के कारण हुई।

(II) Under Major Head "3451" - "Other Expenditure - Hydrology Project" - saving of Rs.964.55 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1045.00 lakhs) was due to less receipt of proposals.

(III) मुख्य शीर्ष "2701" - "सामान्य" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(III) Under Major Head "2701" - "General" - savings occurred under the following heads:-

(का) "अनुसंधान" -

(क) "राष्ट्रीय जल-विज्ञान संस्थान" -110.00 लाख रु. की बचत (834.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(ख) "केंद्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केंद्र" -143.91 लाख रु. की बचत (2633.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(ग) "केंद्रीय मृदा और सामग्री अनुसंधान केंद्र" -158.80 लाख रु. की बचत (1237.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(A) "Research" -

(a) "National Institute of Hydrology"- saving of Rs.110.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.834.00 lakhs);

(b) "Central Water and Power Research Station" - saving of Rs.143.91 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2633.00 lakhs); and

(c) "Central Soil and Materials Research Station"- saving of Rs.158.80 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1237.00 lakhs.

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत बचतें अधिप्राप्ति प्रक्रिया को अंतिम रूप न दिए जाने और किफायती उपायों के कारण हुई।

Savings under the above three heads were due to non-finalisation of procurement process and economy measures.

(घ) "अनुसंधान और विकास कार्यक्रम" - 677.29 लाख रु. की बचत (1256.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रेडियो और टीवी के माध्यम से प्रस्तावित जनसंचार अभियान को स्थगित किए जाने और पर्याप्त प्रस्तावों के प्राप्त न होने के कारण हुई।

(d) "Research & Development Programmes"- saving of Rs.677.29 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1256.00 lakhs) was due to postponement of proposed media campaign through Radio and TV and non-receipt of sufficient proposals.

(ङ) ''जल विज्ञान परियोजना'' - 1326.38 लाख रु. की बचत (अगस्त, 2006 में प्राप्त किए गए 1.00 लाख रु. के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित 1407.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रतिपूर्ति दावे कम प्राप्त होने के कारण हुई।

(खा) ''सर्वेक्षण और अन्वेषण - राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण''- 2223.00 लाख रु. की बचत (4100.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) केबी संपर्क की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए केंद्रीय जल आयोग को अदायगी न किए जाने के कारण हुई।

(गा) ''ऊपरी यमुना नदी बोर्ड आरक्षित निधि/जमा लेखे को निधि का अंतरण - ऊपरी यमुना नदी बोर्ड'' - 105.61 लाख रु. की बचत (110.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने और सुदूर संवेदी साफ्टवेयर की अधिप्राप्ति को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(घा) ''अन्य व्यय'' -

(क) ''केंद्रीय जल आयोग'' - 170.69 लाख रु. की बचत (350.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के भरे न जाने और नर्मदा-ताप्ती घाटी संगठन द्वारा परमाणु अवशोषण स्पेक्ट्रो-फोटोमीटर संबंधी प्रस्ताव रद्द कर दिए जाने के कारण हुई।

(ख) ''भारत में बांध सुरक्षा और पुनर्वास के संबंध में केंद्रीय जल आयोग में सुविधाओं और कौशल का उन्नयन'' - 152.44 लाख रु. की बचत (226.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) भारतीय उष्णकटिबंधीय प्रबंधन संस्थान, पुणे द्वारा परियोजना औसत अवक्षेपण मानचित्राावली तैयार करने के कार्य की धीमी प्रगति होने और कुछ प्रशासनिक कारणों से मानचित्रा प्रतियों की अधिप्राप्ति न होने के कारण हुई।

(ग) ''कंप्यूटरीकरण/सूचना प्रणाली का उन्नयन और आधुनिकीकरण'' - 135.59 लाख रु. की बचत (210.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के भरे न जाने के कारण हुई।

(e) "Hydrology project"- saving of Rs.1326.38 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.1407.00 lakhs including token supplementary grant of Rs.1.00 lakh obtained in August, 2006) was due to receipt of less reimbursement claims.

(B) "Survey & Investigation - National Water Development Agency"- saving of Rs.2223.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.4100.00 lakhs) was due to non-payment to Central Water Commission for preparation of Detailed Project Report of KB link.

(C) "Transfer of Fund to the Upper Yamuna River Board Reserve Fund/Deposit Account - Upper Yamuna River Board" - saving of Rs.105.61 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.110.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and non finalisation of procurement of Remote sensing software.

(D) "Other Expenditure" -

(a) "Central Water Commission" - saving of Rs.170.69 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.350.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and dropping of proposal for Atomic Absorption Spectro-Photometer by Narmada-Tapti Basin Organisation.

(b) "Upgradation of Facilities and skills in Central Water Commission regarding dam safety and rehabilitation in India" -saving of Rs.152.44 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.226.00 lakhs) was due to slow progress of work of preparation of Project Mean Precipitation Atlas by the Indian Institute of Tropical Management, Pune and non-procurement of Map copies due to some administrative reasons.

(c) "Upgradation and Modernisation of Computerisation/Information System"- saving of Rs.135.59 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.210.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts.

(IV) मुख्य शीर्ष "2702'' - ''भूजल - अन्वेषण'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(क) ''जल विज्ञान परियेाजना'' - 223.45 लाख रु. की बचत (278.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रतिपूर्ति दावे कम प्राप्त होने के कारण हुई।

(ख) ''भूजल सर्वेक्षण अनुसंधान और अन्वेषण'' -894.71 लाख रु. की बचत (7189.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिगों और वाहनों की अधिप्राप्ति को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(V) मुख्य शीर्ष "2705'' - ''अन्य व्यय - प्रशिक्षण पाठ्यक्रम'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(क) ''कमान क्षेत्रा विकास कार्यक्रम के निष्पादन, सामाजिक-आर्थिक उद्देश्यों और उपलब्धियों आदि के संबंध में अध्ययन'' - 118.16 लाख रु. की बचत (142.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(ख) ''कमान क्षेत्रा विकास परियोजनाओं का मूल्यांकन अध्ययन'' - 139.87 लाख रु. की बचत (198.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें बैठक और प्रशिक्षण पाठ्यक्रम कम आयोजित किए जाने के कारण हुईं।

(VI) मुख्य शीर्ष "2711'' - ''बाढ़ नियंत्राण - अन्य व्यय'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(क) ''जल विज्ञान परियेाजना'' - 273.67 लाख रु. की बचत (289.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रतिपूर्ति दावे कम प्राप्त होने के कारण हुई।

(ख) ''कोसी उच्च बांध का सर्वेक्षण और अन्वेषण'' - 870.06 लाख रु. की बचत (1390.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने के कारण हुई।

(IV) Under Major Head "2702"- "Ground Water - Investigation" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Hydrology Project"- saving of Rs.223.45 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.278.00 lakhs) was due to receipt of less reimbursement claims.

(B) "Ground Water Survey Exploration and Investigations"- saving of Rs. 894.71 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.7189.00 lakhs) was due to non finalisation of procurement of Rigs and Vehicles.

(V) Under Major Head "2705"- "Other Expenditure - Training Courses" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Studies regarding performances, socio-economic objectives and achievements etc. of Command Area Development Programme"- saving of Rs.118.16 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.142.00 lakhs); and

(B) "Evaluation studies of Command Area Development Projects"- saving of Rs.139.87 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.198.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to conducting of less meeting and training courses.

(VI) Under Major Head "2711" - "Flood Control - Other Expenditure" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Hydrology Project" - saving of Rs.273.67 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.289.00 lakhs) was due to receipt of less reimbursement claims.

(B) "Survey & Investigation of Kosi high dam" - saving of Rs.870.06 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1390.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts.

(गा) ''तीस्ता जल विद्युत परियोजना, रणजीत परियोजनाII और IV तथा मानस तीस्ता संपर्क के लिए अन्वेषण'' - 158.37 लाख रु. की बचत (347.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रस्तावों को अनुमोदन प्रदान न किए जाने के कारण हुई।

(C) "Investigation for Teesta Hydel Project,Ranjit Project II & IV and Manas Teesta Link" - saving of Rs.158.37 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.347.00 lakhs) was due to non-approval of proposals by competent authority.

(घा) ''बंगलादेश और पड़ोसी देशों के बीच बहने वाली नदियों पर संयुक्त प्रेक्षण'' - 119.02 लाख रु. की बचत (150.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विदेश दौरों और दौरे पर आने वाले विदेशी शिष्टमंडलों के आतिथ्य के लिए निर्धारित राशि का उपयोग न किए जाने के कारण हुई।

(D) "Joint Observation on rivers common to Bangladesh and neighboring countries"- saving of Rs.119.02 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.150.00 lakhs) was due to non- utilisation on foreign visits and hospitality of visiting foreign delegation.

(ङ) ''भारत में अंतर्वाह पूर्वानुमानों सहित बाढ़ पूर्वानुमान तंत्रा की स्थापना और आधुनिकीकरण'' -454.83 लाख रु. की बचत (1665.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रस्तावों को अनुमोदन प्रदान न किए जाने के कारण हुई।

(E) "Establishment & Modernisation of Flood Forecasting Network in India including inflow forecasts"- saving of Rs.454.83 lakh (against the sanctioned provision of Rs.1665.00 lakhs) was due to non-approval of proposals by the competent authority.

(VII) मुख्य शीर्ष ''3601'' के अंतर्गत -

(VII) Under Major Head "3601"-

(का) ''केंद्रीय योजना स्कीमों के लिए अनुदान - बाढ़ नियंत्राण- अन्य अनुदान'' -

(A) "Grants for Central Plan Schemes - Flood Control - Other Grants" -

(क) ''लालबकेया, कमला, बागमती और खंडो नदियों पर तटबंधों का विस्तार'' - 1390.65 लाख रु. की बचत (3225.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(a) "Extension of embankments on Lalbakeya,Kamla,Bagmati and Khando Rivers" - saving of Rs.1390.65 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.3225.00 lakhs);

(ख) ''कोसी और गंडक परियोजनाओं के बाढ़ सुरक्षा कार्य का रख-रखाव'' - 274.00 लाख रु. की बचत (524.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(b) "Maintenance of Flood Protection work of kosi & Gandak Projects" - saving of Rs.274.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.524.00 lakhs);

(खा) ''केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान'' -

(B) "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes" -

(क) ''कमान क्षेत्रा विकास - अन्य अनुदान - कमान क्षेत्रा विकास'' - 491.28 लाख रु. की बचत (19380.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(a) "Command Area Development - Other Grants - Command Area Development" - saving of Rs.491.28 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.19380.00 lakhs); and

(ख) ''गंगा घाटी के राज्यों में गंभीर अपरदनरोधी कार्य''- 4157.82 लाख रु. की बचत (8120.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(b) "Critical Anti-erosion works in Ganga Basin States" - saving of Rs.4157.82 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.8120.00 lakhs).

उपर्युक्त चार शीर्षों के अंतर्गत बचतें राज्य सरकारों से उपयोग प्रमाण-पत्रों के प्राप्त न होने के कारण हुईं।

(VIII) पांच शीर्षों के अंतर्गत 381.54 लाख रु. की बचते हुईं जो प्रत्येक में 50.00 लाख रु. से अधिक परंतु 100.00 लाख रु. से कम और स्वीकृत प्रावधान का 17 प्रतिशत से 53 प्रतिशत तक थीं।

2.(I) उपर्युक्त बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(का) मुख्य शीर्ष "3451'' - ''सचिवालय - आर्थिक सेवाएं- सचिवालय - जल संसाधन मंत्रालय'' - 432.58 लाख रु. का अधिक व्यय (1351.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) आश्वासित कैरियर प्रोन्नति के लंबित मामलों को अंतिम रूप दिए जाने, महंगाई भत्ते में वृद्धि होने और आधुनिकीकरण एवं मरम्मत कार्यों के लिए केंद्रीय लोक निर्माण विभाग को अदायगी किए जाने और साथ ही सचिव स्तर की अधिक बैठकें होने के कारण हुआ।

(खा) मुख्य शीर्ष "2701'' - ''सामान्य'' -

(क) ''निदेशन और प्रशासन - केंद्रीय जल आयोग'' - 118.57 लाख रु. का अधिक व्यय (1181.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(ख) ''आंकड़ा संग्रहण - केंद्रीय जल आयोग'' - 240.88 लाख रु. का अधिक व्यय (5025.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(ग) ''परामर्शी सेवा - केंद्रीय जल आयोग'' - 118.25 लाख रु. का अधिक व्यय (1377.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(गा) मुख्य शीर्ष "2702'' - ''भूजल - अन्वेषण - केंद्रीय भूजल बोर्ड'' - 429.66 लाख रु. का अधिक व्यय (5116.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(घा) मुख्य शीर्ष "2711'' - ''बाढ़ नियंत्राण - अन्य व्यय'' -

Savings under the above four heads were due to non-receipt of utilisation certificates from State Governments.

(VIII) Under five heads savings of Rs.381.54 lakhs occurred, each exceeding Rs.50.00 lakhs but not exceeding Rs.100.00 lakhs and constituting 17 percent to 53 percent of the sanctioned provision.

2.(I) The above savings were partly offset by excess under the following major heads: -

(A) Major Head - "3451" - "Secretariat - Economic Services - Secretariat -Ministry of Water Resources" - excess of Rs. 432.58 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1351.00 lakhs) was due to finalisation of pending Assured Career Progression cases, increase in dearness allowance and payment to Central Public Works Department for modernisation and repair works and more Secretary level meetings.

(B) Major Head "2701"- "General"-

(a) "Direction and Administration - Central Water Commission" - excess of Rs.118.57 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1181.00 lakhs);

(b) "Data collection-Central water commission"- excess of Rs.240.88 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.5025.00 lakhs);

(c) "Consultancy - Central water commission"- excess of Rs.118.25 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1377.00 lakhs);

(C) Major Head - "2702" - "Ground Water - Investigation - Central Ground Water Board" - excess of Rs.429.66 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.5116.00 lakhs); and

(D) Major Head "2711" - "Flood Control - Other Expenditure" -

(क) ''केंदीय जल आयोग'' - 447.03 लाख रु. का अधिक व्यय (3012.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

उपर्युक्त पांच शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय आश्वासित कैरियर प्रोन्नति के लंबित मामलों को अंतिम रूप दिए जाने, दौरे अधिक किए जाने और महंगाई भत्ते में वृद्धि होने के कारण हुआ।

(ख) ''बह्मपुत्रा बोर्ड'' - 1876.95 लाख रु. का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(ग) ''पगलादिया - बांध परियोजना'' - 300.00 लाख रु. का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(घ) ''असम में मजूली द्वीप के लिए नई स्कीमें, दिबांग परियोजना आदि'' - 1251.00 लाख रु. का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में) हुआ।

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय निधियों का पुनर्विनियोग पूर्वोत्तर क्षेत्रा और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए मुख्य शीर्ष ''2552'' से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

(ङ) ''बह्मपुत्रा और बराक घाटी में बाढ़ पूर्वानुमान और जल वैज्ञानिक प्रेक्षण तंत्रा का सुदृढ़ीकरण और आधुनिकीकरण''- 299.85 लाख रु. का अधिक व्यय (127.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विलय और महंगाई भत्ते और वेतन वृद्धियों में वृद्धि होने के कारण हुआ।

(च) ''गंगा घाटी के राज्यों में गंभीर अपरदनरोधी निर्माण कार्य'' - 470.59 लाख रु. का अधिक व्यय (3000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) लंबित देयताओं का निपटान किए जाने के कारण हुआ।

(II) एक शीर्ष के अंतर्गत 84.55 लाख रु. का अधिक व्यय हुआ जो स्वीकृत प्रावधान का 11 प्रतिशत था।

3. अनुदान के पूंजीगत भाग के स्वीकृत अंश में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

(a) "Central Water Commission" - excess of Rs.447.03 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.3012.00 lakhs).

Excess under the above five heads was due to finalisation of pending Assured Career Progression cases, more tours and increase in dearness allowance.

(b) "Brahmaputra Board" - excess of Rs.1876.95 lakhs (against nil provision);

(c) "Pagladia - Dam Project" - excess of Rs.300.00 lakhs (against nil provision); and

(d) "New Schemes for Majauli Island in Assam, Dibang project etc." - excess of Rs.1251.00 lakhs (against nil provision).

Excess under the above three heads was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilistion on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(e) "Strengthening & Modernisation of Flood Forecasting and Hydrological observation Network in Brahmaputra and Barak Basin" - excess of Rs.299.85 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.127.00 lakhs) was due to merger and increase in dearness allowance and increments.

(f) "Critical Anti-erosion Works in Ganga Basin States"- excess of Rs.470.59 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.3000.00 lakhs) was due to clearance of pending liabilities.

(II) Under one head excess of Rs.84.55 lakhs occurred constituting 11 percent of the sanctioned provision.

3. In the voted portion of the capital section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "4552" [illegible]	Major Head "4552" Capital Outlay on North Eastern Areas				
मू.	O.	240.00	. .	. .	. .
पु.	R.	–240.00			
मुख्य शीर्ष "4702" लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4702" Capital Outlay on Minor Irrigation				
मू.	O.	660.00	525.00	480.75	–44.25
पु.	R.	–135.00			
मुख्य शीर्ष "5075" अन्य परिवहन सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "5075" Capital Outlay on other Transport Services				
मू.	O.	3000.00	2693.00	2374.08	–318.92
पु.	R.	–307.00			

(I) 240.00 लाख रु. का प्रावधान दो शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 200.00 लाख रु. अकेले मुख्य शीर्ष "4552'' - "बाढ़ नियंत्राण परियोजना के लिए पूंजीगत परिव्यय - अन्य व्यय - केंद्रीय जल आयोग'' के अंतर्गत निधियों का अंतर इकाई समायोजन किए जाने के कारण लेखाबद्ध किए गए।

(I) Provision of Rs.240.00 lakhs remained wholly unutilised under two heads; of these; Rs.200.00 lakhs alone accounted for under Major Head "4552" - "Capital Outlay for Flood Control Project - Other Expenditure - Central Water Commission" - due to Inter Unit adjustment of funds.

(II) मुख्य शीर्ष "4702'' - "भू-जल - केंद्रीय भू-जल बोर्ड'' के अंतर्गत 179.25 लाख रु. की बचत (660.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) व्यय वित्त समिति ज्ञापन में प्रस्तावों का अधोमुखी संशोधन प्रक्षेपित न किए जाने के कारण हुई।

(II) Under Major Head "4702" - "Ground Water - Central Ground Water Board" - saving of Rs.179.25 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.660.00 lakhs) was due to downward revision of proposals were not projected in EFC memo.

(III) मुख्य शीर्ष "5075'' - ''नदी प्रशिक्षण कार्य - फरक्का परियोजनाएं - फरक्का बांध'' के अंतर्गत 625.92 लाख रु. की बचत (3000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) भारी मानसून की वजह से निर्माण कार्य न किए जाने के कारण हुई।

(III) Under Major Head "5075" - "River Training Works - Farakka Projects - Farakka Barrage" - saving of Rs.625.92 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.3000.00 lakhs) was due to non-carrying out of works owing to heavy monsoon.

4. उपर्युक्त बचतें एक शीर्ष के अंतर्गत 99.60 लाख रु. के अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं जो स्वीकृत प्रावधान का 34 प्रतिशत थीं।

4. The above savings were partly offset by an excess of Rs.99.60 lakhs under one head constituting 34 percent of the sanctioned provision.